ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग—एक

1. **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमति लता कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :—

1	श्री अशोक कुमार	01.04.2021 से 27.07.2021
2.	श्री संजीव कुमार	28.07.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरिक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	12.28
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.22
3	8	रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.47
4	9	औपचारिकतायें पूर्ण किय बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.48
5	10	अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना ।	0.05
6	11	टाईलों के क्रय में अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना।	0.03
7	12	निर्माण सामग्री में निर्धारित मापदण्डों से अधिक भुगतान करना ।	0.15
8	16	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	07.14

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.03.2024 से 26.03.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021—22	07/2021	03/2022
2022—23	09/2022	05/2022

<u>अस्वीकरणः—</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 121 दिनांक 26.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	नवनिर्मित पंचायत को हस्तान्तरण राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	115121.52	8228.00	288220.00	411569.52	15944.00	87071.00	308554.52
2022–23	308554.52	32529.00	9888.00	350971.52	23232.00	0	327739.52

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत भरवाना बण्डू के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	नवनिर्मित पंचायत को हस्तान्तरण राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	2100595.05	1865999.00	38777.00	4005371.05	2347236.10	495270.00	1162864.95
2022–23	1162864.95	4182538.00	41157.00	5386559.95	4158884.30	0	1227675.65

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,VMJS,MPLAD,

A/c No. 20054004810	KCCB Panchrukhi	314572.17
A/c No. 50055694355	KCCB Panchrukhi	28726
A/c No. 50055694162	KCCB Panchrukhi	14613
A/C No.50100324832621	HDFC Palampur	2867.3
A/c No.50100357671091	HDFC Palampur	1194007.3
	cash in hand	1059

	Total	**1555844.77**
Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)		327739.52
Cash Book Balance on 31.03.2023		-33063.35
Cash Book Balance on 31.03.2023		-30977
Cash Book Balance on 31.03.2023		12278
Cash Book Balance on 31.03.2023		2867.3
Cash Book Balance on 31.03.2023		1194007.3
Cash Book Balance on 31.03.2023		70344
Cash Book Balance on 31.03.2023		8491.4
Cash Book Balance on 31.03.2023		3728
	Total	**1555415.17**
	Diffrence	**-429.6**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹430/— का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹429.60 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122 दिनांक 26.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123 दिनांक 26.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03. 2023 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 3,27,740/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹12.28 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹ 12,27,675.65 की राशि उपयोग हेतु शेष थीं, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः अनुदान की उक्त शेष राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.22 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत

सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार (**परिशिष्ट–2**) पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹ 21,900/– वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**गृहकर की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021–22	15500	15500	31000	850	30150
2022–23	30150	16250	46400	24500	21900

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पत्ति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 124 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से

सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करन के कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹1725/–को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1725/–** वसूली की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।**
1	2021–22	525.00
2	2022–23	1200

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 128 दिनांक 26.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा वस्तुस्थितिनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से नियमानुसार समर्थित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.47 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः—

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म—डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म—एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 47,099/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126 दिनांक 26.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹47,099/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	600	16.99	1.62	27.52	60	1651.00
	बजरी	800	22.65	1.52	34.42	60	2065.00
	बोल्डर	300	8.49	2.24	19.01	60	1141.00
						कुल :	**4857.00**
	रेत	2480	70.23	1.62	113.77	80	9102.00

प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23	बजरी	2600	73.63	1.52	111.91	80	8953.00
	बोल्डर	2910	82.41	2.24	184.59	80	14767.00
						कुल :	**32822.00**
				कुल 2021–22 व 2022–23			**37679.00**
					पैनल्टी 25 %		9420.00
					कुल योग:		**47099.00**

9. **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 1.48 लाख का स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,47,939/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127 दिनांक 26.03.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी।

अतः नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारणों से अवगत करवाते हुये कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से

अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
14, 24.08.21	बिल नं0 2041 दि0 01.11.21 श्री सॉई आयरन एण्ड स्टील स्टोर	एन्बन, शीट	47910.00	नि0 ग्राम सभागार Deposit work
16, 24.08..21	बिल नं0 1053 दि0 12.05.20 शिव शक्ति इण्टरप्राईजिज	दरवाजे	7000.00	नि0 ग्राम सभागार Deposit work
30, 15.03.22	बिल नं0 431 दि0 28.12.20 धीमान बैल्डिंग वर्क्स	ग्रिल	14700.00	नि0 ऑंगनबाडी भवन गाहर Deposit work
31, 15.03..22	बिल नं0 01 दि0 30.10.21 राणा हार्डवेयर स्टोर	रंग रोगन इत्यादि	31499.00	नि0 ऑंगनबाडी भवन गाहर Deposit work
32, 15.03.22	बिल नं0 01 दि0 16.10.22 राणा हार्डवेयर स्टोर	सैनिटरी फिटिंग	22690.00	नि0 ऑंगनबाडी भवन गाहर Deposit work
44, 23.01.23	बिल नं0 043 दि0 01.07.21 गुप्ता हार्डवेयर	पी0वाई0सी0 पाईप	24140.00	नि0 शमशान घाट VMJS
			147939.00	

10. इण्टरलॉक टाईलों के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.05 लाख के अधिक भुगतान बारेः—

वर्ष 2021—22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में इण्टरलॉक टाईल के कय हेतु न्यूँनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 मॉ चामुण्डा इण्टरप्राईजिज की दर ₹16/— प्रति टाईल की दर से अनुमोदित की गई थी । लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को ₹ 17/— प्रति टाईल की दर से अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129 दिनांक 26.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें

अन्यथा निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान राशि ₹4800.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)	कार्य का नाम
17.11.21	901, 07.09.21	2400 इण्टरलॉक टाईलें दर 17/– प्रति टाईल	40800.00	38400 इण्टरलॉक टाईलें दर 16/– प्रति टाईल= 38400.00	2400.00	नि0 सडक जीवन के घर से टीटा राम के घर तक MNREGA
17.11.21	901, 07.09.21	2400 इण्टरलॉक टाईलें दर 17/– प्रति टाईल	40800.00	2400 इण्टरलॉक टाईलें दर 16/– प्रति टाईल= 38400.00	2400.00	नि0 सडक जीवन के घर से टीटा राम के घर तक MNREGA
					4800.00	

11. शटरिंग के किराये में अनुमोदित दरों से ₹0.03 लाख के अधिक भुगतान बारे :–

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में शटरिंग के किराये हेतु न्यूॅनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 माँ चामुण्डा इण्टरप्राईजिज की दरें ₹10/– प्रति वर्गफुट की दर से अनुमोदित की गई थी । लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को अधिक दर से अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अधियाचना संख्या 130 दिनांक 26.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान राशि ₹3,280.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये :—

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)	कार्य का नाम
04, 16.04..21	548, 04.12.20	400 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	6000.00	400 वर्ग फुट 10/— प्रति वर्ग फुट = 4000.00	2000.00	अपवर्धन खेल मैदान पंचायत कार्यालय 14th FC
05, 16.04.21	549, 08.12.20	120 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	1800.00	120 वर्ग फुट 10/— प्रति वर्ग फुट = 1200.00	600.00	नि0 रास्ता अशोक कुमार घर से सरवण के घर के घर तक 14th FC
13, 07.02.22	716, 06.06.21	100 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	1500.00	100 वर्ग फुट 14/— प्रति वर्ग फुट = 1400.00	100.00	नि0 रास्ता अमर सिंह के घर से रमेश के घर के घर तक 14th FC
21.05.22	936, 16.02.22	160 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	2400.00	160 वर्ग फुट 14/— प्रति वर्ग फुट = 2240.00	160.00	मनरेगा
21.05.22	935, 16.02.22	150 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	2250.00	150 वर्ग फुट 14/— प्रति वर्ग फुट = 2100.00	150.00	मनरेगा
21.05.22	729, 12.02.22	270 वर्ग फुट 15/— प्रति वर्ग फुट	4050.00	270 वर्ग फुट 14/— प्रति वर्ग फुट = 3780.00	270.00	मनरेगा
					3280.00	

12. निर्माण सामग्री क्रय में ₹0.15 लाख के अधिक भुगतान बारे :—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य एम्बुलैंस रोड रखा राम के घर से ऑंगनबाड़ी की ओर हेतू क्रशर रेत व सीमेंट का क्रय किया गया था जबकि माप पुस्तिका संख्या 16751 के पृष्ठ 49 से 51 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर निर्धारित मापदण्डों

अनुसार उपयोग हुई सामग्री की मात्रा क्रय की गई मात्रा से कम थी । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131 दिनांक 26.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान राशि ₹14,518.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	क्रय की गई सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग की गई सामग्री	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
35	650, दि0 शून्य	क्रशर रेत = 650 cft	12.65 cum 12.65x35.31 = 446 cft	204 cft	52.00	10608.00
01 04	14534, 03.05.22 11001, 28.05.22 11037, 07.06.22	सीमेंट 75 बैग सीमेंट 20 बैग सीमेंट 10 ब्रैग	95 बैग	10 बैग	391.00	3910.00
						14518.00

13. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 10(2) के अनुसार अधिनियम की धारा 99 की उप धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन सचिव या पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का रोकड़िया होगा जो ग्राम पंचायत के लेखों से या धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम

होगा, परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किये जाने वाले संदाय केवल क्रास चैक द्वारा ही किये जायेंगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया कि निम्नलिखित अदायगियाँ नगद की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये :–

क्र0 सं0	वाउचर संख्या व दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
1	26, 18.01.22	बिजली बिल	367.00	
2	37, 28.03.22	बिजली बिल	359.00	
3	02, 17.05.221	कार्यालय व्यय	470.00	
4	03, 21.05.22	बिजली बिल	427.00	
5	12, 26.07.22	बिजली बिल	391.00	
6	13, 22.08.22	कार्यालय व्यय	1750.00	
7	17, 09.09.22	बिजली बिल	150.00	
8	23, 07.10.22	बिजली बिल	135.00	
9	27, 22.10.22	कार्यालय व्यय	900.00	
10	28, 22.10.22	बिजली बिल	269.00	
11	30, 26.11.22	बिजली बिल	136.00	
12	31, 26.11.22	बिजली बिल	152.00	
13	40, 22.12.22	बिजली बिल	128.00	
14	45, 23.01.23	बिजली बिल	160.00	
15	54, 27.02.23	बिजली बिल	116.00	
16	55, 29.03.213	बिजली बिल	148.00	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 132 दिनांक 28.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में की जाने वाली अदायगियाँ का भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार ही किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

14. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे:–

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी, जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134 दिनांक 266.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण होने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेगें ।

1	नि0 तालाब नजदीक जथम्मी पुल MNREGA
2	नि0 पानी की टंकी संसार चन्द MNREGA
3	नि0 रोड गुरभक्त के घर से बलूटा MNREGA
4	नि0 रोड जीवन के घर से टीटा राम के घर तक MNREGA
5	नि0 रास्ता कर्म चन्द की जमीन से पवन दगोहिया के घर तक MNREGA

अतः हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

15. प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.64 लाख का अधिक व्यय करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2021–22 व 2022–23 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि से ₹ 64,040/– अधिक राशि खर्च की गई, जोकि अनियमित हैः–

शीर्ष	वर्ष	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
PS	2022-23	–33063.35	–0	0	–33063.35
5th State	2022-23	–11477	173300	19280	30977
					64040.35

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह खर्चा सभा निधि से किया गया है व सम्बन्धित राशि प्राप्त होते ही सभा निधि में जमा कर ली जायेगी।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

16. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में ₹07.14 लाख की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 7,13,809.00 की राशि का निम्न विवरणानुसार बहुत ज्यादा अन्तर पाया गयाः—

31.03.2023 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	22,69,224.17
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	15,55,415.17
अन्तर	₹	7,13,809.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्रम सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

15. **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16. **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाषः–0177–2620046,

13 JUN 2024
का0/हि0
2786–2790

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)398/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भवारना बण्डू, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 JUN 2024
का0/हि0

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाषः–0177–2620046

परिशिष्ट -1 ①

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में)

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat " Bharwana (Bandu)" for the yei 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Fund transfer to newly created panchyat	Closing Balance
1	PS, ZP	5993.65	2410	0	8403.65	41467		-33063.35
2	5 SFC	58081	168244	0	226325	237802		-11477
3	VKVNY	57264	97235	1075	155574	91764		63810
4	14TH FC	1358348	3210	16133	1377691	667189.7	495270	215231.3
5	15TH FC	521450	314001	20284	855735	35.4		855699.6
6	SBM	0	0	0	0	0		0
7	Deposit Works	0	286000	0	286000	215656		70344
8	ZP	0	0	0	0	0		0
9	SDP	99458.4	0	1285	100743.4	99458		1285.4
10	VMJS	0	75000	0	75000	73965		1035
11	MPLAD	0	0	0	0	0		0
12	RGSA	0	0		0	0		0
13	MNREGA	0	919899	0	919899	919899		0
	Total Rs.	2100595.05	1865999	38777	4005371.05	2347236.1	495270	1162864.95

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat " Bharwana (Bandu)" for the yei 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure		Closing Balance
1	PS, ZP	-33063.35	0	0	-33063.35	0		-33063.35
2	5 SFC	-11477	173300	0	161823	192800		-30977
3	VKVNY	63810	7430	4038	75278	63000		12278
4	14TH FC	215231.3	0	5583	220814.3	217947		2867.3
5	15TH FC	855699.6	566633	28557	1450889.6	256882.3		1194007.3
6	SBM	0	159952	0	159952	159952		0
7	Deposit Works	70344	0	0	70344	0		70344
8	ZP	0	0	0	0	0		0
9	SDP	1285.4	345234	2979	349498.4	341007		8491.4
10	VMJS	1035	64333	0	65368	61640		3728
11	MPLAD	0	395536	0	395536	395536		0
12	RGSA	0	0		0	0		0
13	MNREGA	0	2470120	0	2470120	2470120		0
	Total Rs.	1162864.95	4182538	41157	5386559.95	4158884.3		1227675.65

Balance as per Bank on 31.03.23

1 Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,VMJS,MPLAD,		314572.17
A/c No. 20054004810	KCCB Panchrukhi	28726
A/c No. 50055694355	KCCB Panchrukhi	14613
A/c No. 50055694162	KCCB Panchrukhi	0
A/c No.50055679314	KCCB Panchrukhi	0
A/C No. 50055686071	KCCB Panchrukhi	2867.3
A/C No.50100324832621	HDFC Palampur	1194007.3
A/c No.50100357671091	HDFC Palampur	
A/c No 50055680568		
A/c No		
A/c No		1059
cash in hand		1555844.77
Total		

	327739.52
Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)	-33063.35
Cash Book Balance on 31.03.2023	-30977
Cash Book Balance on 31.03.2023	12278
Cash Book Balance on 31.03.2023	2867.3
Cash Book Balance on 31.03.2023	1194007.3
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	70344
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	8491.4
Cash Book Balance on 31.03.2023	3728
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
	0
Total	1555415.17
diffrence	-429.6

सचिव
ग्राम पंचायत, भरवाना (बान्दू)
वि. खंड पंचरुखी (कांगड़ा) हि०प्र

(2)

Financial Position of Own sources in r/o GP Bharwana (Bandu)

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Fund transfer to newly created panchyat	Closing Balance
2021-22	115121.52	8228	288220	411569.52	15944	87071	308554.52
2022-23	308554.52	32529	9888	350971.52	23232		327739.52

Sante

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भरवाना (बन्दू)
वि. खंड पंचरुखी (कांगड़ा) हि॰प्र॰

"परिशिष्ट-2"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में

List of outstanding Property tax for the period of 2021-22& 2022-23 in r/o GP Bharwana Bandu Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	15500	15500	31000	850	30150
2022-23	30150	16250	46400	24500	21900

No. of Families=325 Rate per Annum=50

List of outstanding tower Fees for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Bharwana Bandu Distt.Kangra,H.P.

Sante

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भरवाना (बंडू)
वि. ख. पंचरुखी (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट - 3

Name of Gram Panchayat Bharwana (Bandu) Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

2021-22

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Sand CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks No.s	Amount
1	C/O Play Ground volleyball and Badminton Court	14th Fc	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES	19/15-03-2022	(929)29/12/2021	600	0	0	0	27000
2	C/O Play Ground volleyball and Badminton Court	14th Fc	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES SALIANA	20/15-03-2023	(928)28/12/2021	0	800	300	0	46200
					Total:	600	800	300		

Sante
सचिव
ग्राम पंचायत भरवाना (बंदू)
वि. खंड पंचरुखी (कांगड़ा) हि.प्र.

27

(2)

Name of Gram Panchayat Bharwana (Bandu) Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

2022-23

S.No	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Sand CFT	Crusher Bajri CFT	Boulder	Bricks No.s
1	C/O PATH KARAM CHAND LAND TO PAWAN DAGOHIYA	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES	14-02-2022	(937) 21/05/2022	0	650	0	0
				14-02-2022	(938) 21/05/2022	480	0	0	0
				14-02-2022	(939) 21/05/2022	0	0	450	0
2	C/O ROAD JOVAN HOSUE TO TITA RAM HOUSE TOWARDS	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES	16-02-2022	(940) 21/05/2022	0	250	0	0
				16-02-2022	(941) 21/05/2022	450	0		0
3	C/O ROAD GURBAHGAT HOUSE TO BALATA TOWARDS	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES SALIANA	14-02-2022	(732) 21/05/2022	0	0	1000	0
				12-02-2022	(730) 21/05/2022	600	0	0	0
				12-02-2022	(731) 21/05/2022	0	1000	0	0
4	C/O PATH VISAN CHAND HOUSE TO SADAK TOWARDS	MGNREGA	MAA CHAMUNDA ENTERPRISES	10-02-2022	(724) 21/05/2022	0	0	350	0
				10-02-2022	(725) 21/05/2022	300	0	0	0
				10-02-2022	(726) 21/05/2022	0	0	260	0
5	C/O Ambulance Road Rakha Ram Land to Anganwadi Kandaral	SDP	Kapil Chand	11/21-07-2022	(257)04/05/2022	0	200	200	0
				35/07-12-2022	286/05-05-2022	650	0	0	0
				36/07-12-2022	287/05-05-2022	0	500	0	0
				37/07-12-2022	288/05-05-2022	0	0	650	0
					Total:	2480	2600	2910	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भरवाना (बंदू)
वि. खंड पंचरुखी (कांगड़ा) हि.प्र.

98

Amount
26000
21600
18000
10000
20250
40000
27000
40000
14000
13500
10400
18000
33800
22500
29250